वर्ष 2011–2012 का अनंतिम बजट कार्यक्रम

1	*30 जून, 2010*	*प्रथम अनुपूरक अनुमान 2010–2011 के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि*
2	31 जुलाई 2010 तक	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को आयोजनेतर/आयोजना तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुमान हेतु मुद्रा साफटवेयर का प्रदाय
3	31 जुलाई 2010 तक	महालेखाकार से 2009–2010 के आय एवं व्यय के वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने हेतु
4	30 सितम्बर 2010	राजस्व प्राप्तियों /वसूलियों के बजट अनुमान 2011–2012 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
5	30 अक्टूबर 2010 तक	राजस्व प्राप्तियों/वसूली के बजट प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं अपर /उप सचिव) चर्चा करना
6	30 अक्टूबर 2010 तक	आयोजना/आयोजेतर बजट प्रस्ताव वर्ष 2011–2012 एवं नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
7	30 अक्टूबर 2010	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत विवरण की जानकारी विभागों द्वारा भेजे जाने की अंतिम तिथि
8	30 नवम्बर 2010	द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2010–2011 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
9	30 नवम्बर 2010 तक	आयोजना/आयोजनेतर बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा (विभागाध्यक्ष एवं अपर/उप सचिव)
10	31 दिसम्बर 2010 तक	विभागीय सचिवों के साथ आयोजना/आयोजनेतर बजट प्रस्तावों पर वित्त सचिव स्तर पर चर्चा
11	31 दिसम्बर 2010 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि
12	10 जनवरी 2011 तक	आवश्यकतानुसार विभागीय प्रमुख सचिव के साथ प्रमुख सचिव वित्त की चर्चा
13	14 जनवरी 2011	राज्य शासन द्वारा 2009–2010 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31.12.2010 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
14	20 जनवरी 2011 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
15	10 फरवरी 2011 तक	तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2010–2011 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
16	31 मार्च, 2011	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31.3.2011 तक के पुनर्विनियोजन/समर्पण के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचना:–

1:– वर्ष 2011–2012 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न पुनर्विनियोजन प्रस्ताव उपर अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा. विभागों से निवेदन है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें ।

2– वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक जी–25/9/90/नि–4, दिनांक 22–5–90 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिये उप योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जावें ।

3– वर्ष 2010–11 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में शामिल की जाने वाली नवीन परियोजनाओं/कार्यो की सक्षम वित्तीय समिति से अनुशंसा 30 जून 2010 तक अवश्य प्राप्त कर ली जाये । सक्षम वित्तीय समितियों से अनुशंसित परियोजनाओं/कार्यो को ही प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान में शामिल किया जायेगा ।